भारत सरकार
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
कार्यालय नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर
फोन नं. ....फैक्स नं. ....

"अफीम कृषकों के लिए आवश्यक सूचना"

फसल वर्ष 2011-12

विभागीय निगरानी में अफीम फसल उखडवाने।हंकवाने के संबंध में सभी अफीम कृषकों को सूचित किया जाता है कि:-

1. प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त अफीम फसल का आंकलन करने का वर्तमान नीति में कोई प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में अनावश्यक आवेदन न भेंजे।
2. कृषक अपने क्षतिग्रस्त।नुकसानग्रस्त अफीम फसल को हंकवाने।उखडवाने हेतु प्रार्थना पत्र केवल संबंधित जिला अफीम अधिकारी को फसल क्षतिग्रस्त।नुकसानग्रस्त होने के 10दिन के अन्दर प्रस्तुत करें। प्रार्थना-पत्र एवं लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "क्षतिग्रस्त।नुकसानग्रस्त फसल हंकवाने का प्रार्थना-पत्र" अंकित होना चाहिए।
3. कृषक अपने आवेदन पत्र में अपना नाम, पूरा पता, लाइसेंस संख्या,फसल क्षतिग्रस्त होने की तारीख तथा कारण, अफीम प्लाटों की संख्या, कितने प्लाटों में फसल उखडवाना।हंकवाना चाहता है। आंशिक अथवा सम्पूर्ण फसल हंकवाना चाहता है स्पष्ट लिखें।
4. कृषक अपनी क्षतिग्रस्त अफीम फसल को चीरा लगाने से पहले ही संपूर्ण या आंशिक रूप से विभागीय निगरानी में हंकवा सकते है। फसल में चीरा आरम्भ कर देने के पश्चात अफीम फसल को हंकवाने का कोई प्रावधान नहीं है।
5. यदि कृषक ने एक से अधिक प्लाट में काश्त की है और उनमें से किसी एक प्लाट में चीरा लगना प्रारंभ हो गया है तो दूसरे प्लाट की अफीम फसल विभागीय निगरानी में सम्पूर्ण या आंशिक रूप से उखडवाई।हंकवाई जा सकती है, वशर्ते कि उस प्लाट की अफीम में चीरा नहीं लगाया गया हो।
6. क्षतिग्रस्त।नुकसानग्रस्त अफीम फसल को उखडवाये।हंकवाये जाने वाला क्षेत्र प्लाट के रकबे का कम से कम 10 प्रतिशत परन्तु एक आरी से कम नहीं होना चाहिए।
7. आंशिक फसल हंकवाने की अनुमति दी जायेगी, लेकिन बीच.बीच में या टुकडों में नहीं, बल्कि सीधी लाईन में हंकवाने की अनुमति दी जायेगी। जैसे कि या तो लम्बाई की तरफ या चौडाई की तरफ या दोनों तरफ सीधी लाईन में हंकवाने की अनुमति दी जायेगी।
8. प्रत्येक आंशिक और सम्पूर्ण फसल हंकवाने का पंचनामा बनाया जायेगा और मौके पर बनाये गये पंचनामें पर गॉव का लम्बरदार, स्वंय कृषक और गॉव का एक अन्य अफीम कृषक हस्ताक्षर करेगें।
9. क्षतिग्रस्त फसल को हंकवाये गये रकबे की प्रविष्टि लम्बरदार रिकार्ड में संबंधित कृषक के नाम के सामने एवं कृषक के पट्टे पर उसी समय की जायेगी।
10. क्षतिग्रस्त।नुकसानग्रस्त बिना चीरा लगी अफीम फसल को सम्पूर्ण या आंशिक हंकवाने के लिए प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर साथ-साथ कार्यवाही की जावेगी।
11. यदि कोई कृषक विभागीय दल के, उसकी सम्पूर्ण या आंशिक फसल हंकवाने हेतु उसके खेत।प्लाट पर जाने पर, फसल हंकवाने के लिए मना करेगा तो ऐसे कृषक के प्रार्थना पत्रों पर दुवारा कार्यवाही नहीं होगी तथा उसे आगामी वर्ष में लाइसेंस पाने के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हक उपज देनी होगी।
12. उपरोक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त।संबंधित जिला अफीम अधिकारी एवं ग्राम के अफीम लम्बरदार से ली जा सकती है।

आज्ञा से-
नारकोटिक्स आयुक्त,...................

Misc.of DNC (Policy)